

न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)  
अपील / रसद / 22 / 2021

बनवारी लाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम बैलारा ग्राम पंचायत खेड़ी देवीसिंह तहसील  
नदबई

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, (द्वितीय) भरतपुर जरिये पैरोकार रसद

.....रेस्पोंडेंट



अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर  
दिनांक 07-12-2016, प्रकरण संख्या 60/2016

निर्णय

दिनांक 08-02-2023

अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 07-12-2016 से प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई थी। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 07-12-2016 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई। इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 06/2017 को अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक की अनुपस्थित होने से आदेश दिनांक 04.07.2019 को खारिज कर दी गई। अपीलान्ट ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04-07-2019 के खिलाफ एक अपील माननीय खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर के समक्ष पेश की गई।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर ने अपीलान्ट की पुनरीक्षण याचिका संख्या- 58/2020 उनवानी बनावारी लाल बनाम जिला रसद अधिकारी वगैरे स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 29-09-2021 से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04-07-2019 को अपास्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला कलक्टर भरतपुर को पुनः प्रेषित (Remand) किया कि रिविजनकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर के निर्णय दिनांक 29-09-2021 के परिप्रेक्ष्य में अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्षकारान की तलबी की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई है।

✓

.....2

जिला कलक्टर  
भरतपुर

(2)


अपील/रसाद/22/2021  
बनवासी लाल बनाम डी.एस.ओ.भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने बताया कि लिखित बहस पेश की हुई है। लिखित बहस में विस्तृत विवेचन किया हुआ है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि इसी प्रकार के अन्य प्रकरण जो कि माननीय खाद्य आयुक्त जयपुर से प्राप्त हुये हैं उन्हें श्रीमान द्वारा जांच हेतु रिमान्ड किया गया है, प्रार्थी के प्रकरण को भी रिमान्ड किया जावे।

पैरोकार रसाद ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि निदेशक,(तकनीकी) राजकोम इनको सर्विस लि0 के पत्र क्रमांक F.4.2(169)RISL/Tech/2014/4073 दिनांक 30.8.2016 व 31.8.2016 के अनुसार अपीलान्त ने पोसा मशीन से एक ही आधार नम्बर 358135983069 का उपयोग कर प्राधिकृत अधिकारी की आईडी का दुरुपयोग कर 67 ट्रांन्जेक्शन करने पर 05.45 विवटल गेहूँ व 136 लीटर कैरोसीन कूटस्थित वितरण पोस मशीन के माध्यम से किया जाना दर्शा कर दुरुपयोग किया गया है। डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2.11 व 17(सी) का उलंघन किया गया है। अपीलान्त इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों का हवाला देते हुये अपना प्रकरण भी पुनः जांच हेतु डीएसओ भरतपुर को भिजवाना चाहता है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन किया गया। पैरोकार रसाद के कथन पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश जिला रसाद अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 07-12-2016 का अवलोकन किया गया। तहत पत्रावली डीएसओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण निदेशक,(तकनीकी) राजकोम इनको सर्विस लि0 के पत्र क्रमांक F.4.2(169)RISL/Tech/2014/4073 दिनांक 30.8.2016 व 31.8.2016 के साथ प्राप्त सूची के आधार पर दर्ज कर अपीलान्त डीलर को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 23.11.2016 को जारी किया गया है, जो अपीलान्त पर विधिवत तामील ही नहीं हुआ है, तहत न्यायालय ने अपीलान्त की अनुपरिस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहत पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहत न्यायालय ने आरोप की सत्यता के सम्बन्ध में अपने स्तर पर कोई जांच नहीं की है और नाहीं कोई साक्ष्य वगैरा लिये गये हैं, सारी कार्यवाही पोस मशीन के आधार पर करते हुये समाप्त कर दी गई है तथा अपीलान्त के उपस्थित नहीं आने से आरोप को स्वीकार मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो किसी प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती है। तहत न्यायालय को चाहिये था कि वे आरोप के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपभोक्ताओं को बयान वगे. लेकर विस्तृत जांच कर अपना अभिमत व्यक्त करते परन्तु यहाँ ऐसा नहीं किया जाकर मात्र खनिदेशक,(तकनीकी) राजकोम इनको सर्विस लि0 के पत्र क्रमांक F.4.2(169)RISL/Tech/2014/4073 दिनांक 30.8.2016 व 31.8.2016 के साथ प्राप्त सूची के अनुसार नोटिस जारी कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलान्त के

.....3

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

(3)

अपील / रसद / 22 / 2021  
बनवारी लाल बनाम डी.एस.ओ.भरतपुर

विरुद्ध अनियमितताओं को किस साक्ष्य व आधार पर सिद्ध माना गया अपीलार्थीन आदेश में कोई उल्लेख नहीं है। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता है जबकि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावे, तहत न्यायालय ने अपीलान्त को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। योग्य अभिभाषक का अपनी लिखित बहस में यह भी कथन किया कि इसी प्रकार के अन्य प्रकरण जो माननीय खाद्य आयुक्त जयपुर से पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त हुये हैं उन्हें जिला रसद अधिकारी को पुनः सुनवाई हेतु रिमान्ड किया गया है प्रार्थी का प्रकरण निर्णायक बिन्दू उनके समान ही हैं। अतः इस प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु जिला रसद अधिकारी भरतपुर को रिमान्ड किये जाने का निवेदन किया है।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24.11.2021 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.08.2019 अपारस्त किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित (रिमान्ड) किया है कि -


“ .....रिवजनकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें.....।”

मेरी विनम्र राय में माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 29-09-2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को ट्राईल कोर्ट को साक्ष्य वगैरे लेकर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जाँच कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय लिये जाने हेतु को रिमान्ड किया जाना उचित होगा।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 7-12-2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण का पुनः परीक्षण करें, अपीलान्त को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार विधि सम्मत पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08-02-2023 को सुनाया गया।

  
(आलोक रंजन)  
जिला कलक्टर,  
भरतपुर